न्यायालय विशेष न्यायधीश, 'पॉक्सो एक्ट'/ अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–20, कानपुर
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2277/2026
CNR No–UPKN010066132026

फर्राज उर्फ फराज रहमान सिद्दकी वयस्क पुत्र श्री आसिफ रहमान सिद्दकी उम्र लगभग 24 वर्ष निवासी–89, पुरानी इकाब लाईब्रेरी के पीछे, बांसमण्डी, थाना–अनवरगंज, कानपुर नगर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) कानपुर नगर।

.....विपक्षी/अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या–107/2025
धारा–318(4), 351(3), 338, 336(3), 340(2) बी०एन०एस०
थाना–अनवरगंज, जिला–कानपुर नगर।

01.07.2026

प्रार्थी/अभियुक्त फर्राज उर्फ फराज रहमान सिद्दकी की ओर से उपरोक्त मुकदमे में जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ अभियुक्त के सगे भाई उरूज रहमान की ओर से शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक एफ.आई.आर. के अनुसार इस प्रकार है कि,"प्रार्थी शेख मोहम्मद हुसैन रजा पुत्र कारी मोहम्मद अमीर हमजा निवासी 79/8, लाटूश रोड, कानपुर नगर का है। अवगत कराना है कि फर्राज रहमान सिद्दीकी पुत्र आसिफ रहमान सिद्दीकी (आसिफ कालिया) निवासी–89/266, पुरानी इकबाल लाईब्रेरी के पीछे, कानपुर नगर जो कि अपने आपको जूते का व्यापरी बताकर तथा आसिफ रहमान एंव उनका बड़ा पुत्र उक्त व्यापार को मिलकर चलाते थे तथा रहमान ट्रेडर्स के नाम से अपनी एक फर्म बना रखी थी, जिसके माध्यम से उपरोक्त अभियुक्तगण अपना व्यापार संचालित करते थे। यह कि उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थी को व्यापार में रूपये निवेश करने पर अधिक लाभ का लालच देकर एंव रेड टेप कम्पनी एंव मार्शल कम्पनी से अपने आपको डिट्रीब्यूटर बताकर एंव कम्पनी के फर्जी दिखाकर धोखे से रूपये ऐंठ लिए यह कि प्रार्थी सम्बन्धित थाने में पुलिस के उच्च अधिकारी के समक्ष प्रस्तत होकर शिकायत भी कर चुका है परन्तु कोई भी कार्यवाही नही हो रही है प्रार्थी बहत ही परेशान, डरा व सहमा है। अतः श्रीमान जी से सादर प्रार्थना है कि उपरोक्त अभियुक्तगणा के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराकर कठोर से कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करने की कृपा करें।"

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्त को उक्त वाद में झूठा एंव रजिंशन झूठे मामलें में फंसा दिया है तथा अभियुक्त ने तथा कथित कोई भी अपराध कारित नही किया है। अभियोजन कथनानुसार उक्त मुकदमें की घटना का कोई समय व दिनांक नही बताया गया है तथा उक्त घटना की रिपोर्ट दिनांक–

17.12.2025 को समय 19:07 बजे थाना–अनवरगंज में अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दर्ज कराई गई है। अर्थात उक्त घटना कोई तारीख व समय नही बताया गया है जिससे अभियोजन की सम्पूर्ण कहानी सन्देहात्मक प्रतीत हो जाती है। अभ्युिक्त उपरोक्त को उक्त वाद में पुलिस के द्वारा गुडवर्क के चक्कर में मुकदमें में वादी मुकदमा के प्रभाव में धाराओं की बढ़ोत्तरी करते हुए फसां दिया गया है, तथा अभियुक्त उपरोक्त के पास से फर्जी गिरफ्तारी दिखाते हुए दिनांक–03.06.2026 को जिला कारागार भेज दिया है। मुकदमा उपरोक्त में वादी के द्वारा दी गई तहरीर के मुताबिक थाना–अनवरगंज की पुलिस के द्वारा धारा–318 (4).351 (3) बी०एन०एस० में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा बाद में वादी के द्वारा ही फर्जी प्रपत्रों का गढ़न कर उक्त मामले में पुलिस को दे दिया गया तथा उक्त मामले में धारा–338, 336(3), 340(2) बी०एन०एस० की बढ़ोत्तरी कर दी गई जबकि अभियुक्त उपरोक्त ने किसी भी तरह की कूट रचना नही की है वह पूरी तरह से निर्दोष है। वादी के द्वारा बताया गया है कि अभियुक्त उपरोक्त ने फर्जी व कूट रचित दस्तावेज उपब्ध कराकर उसके पैसे को हड़पा है बिलकुल सरासर गलत है वास्तविकता यह है कि अभियुक्त उपरोक्त का वादी से किसी भी तरह का पैसे का बकाया नही है पूर्व में वादी के साथ अभियुक्त उपरोक्त ने काम किया था परन्तु कुछ नुकसान होने के कारण उसका काम बन्द हो गया, जिस पर शपथकर्ता के भाई अभियुक्त उपरोक्त ने वादी मुकदमा का पैसा वापस कर दिया कुछ पैसा अभियुक्त उपरोक्त के भाई ने वादी को ऑनलाइन दिया है तथा कुछ पैसा नकद दिया है। शपथकर्ता के भाई अभियुक्त उपरोक्त ने वादी के साथ कारोबार शुरू करने का मुआहदा हुआ था जिसमें अभियुक्त उपरोक्त को समय समय पर पैसा देना था जिसके लिए कई बार अभियुक्त उपरोक्त ने उक्त के सम्बन्ध में वादी मुकदमा को पैसे भी दिये तथा वादी का यह कहना कि अभियुक्त उपरोक्त ने रहमान ट्रेडर्स के नाम से एक फर्म बना रखी थी कतई तौर पर गलत है अभियुक्त उपरोक्त ने जूतों का काम किया था तथा वह आगरा से माल लाकर कानपुर में सप्लाई करता था कोई भी फर्म नही बनाई थी ना ही अभियुक्त के नाम से कोई रहमान ट्रेर्डस के नाम से फर्म पंजीकृत है ना ही अभियुक्त ने इस प्रकार ने की कोई फर्म बनाई है। वादी मुकदमा ने अभियुक्त उपरोक्त को समय समय पर केवल 6 लाख रूपये ऑनलाइन दिया था जिसके सम्बन्ध में वादी ने अभियुक्त उपरोक्त से सिक्योरिटी के तौर पर उसकी तीन चेकें ले लिया था जिनका वादी के द्वारा दुरुपयोग भी किया गया है तथा उक्त तीनों ही चेकों को बाउन्स करा कर न्यायलय में एक मुकदमा भी दाखिल कर रखा है। वादी मुकदमा ने स्वंय ही फर्जी साक्ष्य गढ़कर उक्त मामले में धाराओं की वृद्धी कराने के उद्देश्य से कुछ कम्प्यूटर जेनेरेटेड बिल व इन्वाईस एंव प्रपत्र विवेचक के सुपुर्द किया जिससे अभियुक्त उपरोक्त का कोई लेना देना नही है। वादी के द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित किया है कि अभियुक्त उपरोक्त ने धोके से रूपये ऐंठ लिए लेकिन कितने रूपये का लेन देन है यह अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित नही किया है। वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह कथन किया है कि अभियुक्त ने ना तो उसका पैसा वापस किया तथा ना ही कोई लाभ दिया परन्तु अपने 138 एन० आई० एक्ट के वाद पत्र के पैरा 5 में उल्लिखित किया है कि "प्रारम्भ में अभियुक्त द्वारा लाभ के 1,00,000/–रूपये प्रार्थी को यकीन दिलाने और रकम ऐंठने के विचार से कुछ लाभ का प्रतिशत

दिया गया।" अर्थात वादी के दो अलग अलग मुकदमों में जो कि एक ही मामले से सम्बन्धित हैं विराधाभास है जिससे अभियोजन की कहानी सन्देहात्मक प्रतीत होती है। वादी मुकदमा के द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्व पैसों के सम्बन्ध में 138 एन०आई०एक्ट का वाद दिनांक–29.09.2025 को दाखिल किया जोकि विचाराधीन न्यायालय है परन्तु इसी के साथ उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी समय के बाद 17.12.2025 को दर्ज करा दिया तथा दोनों की वाद के कथनों में काफी भिन्नता है। वादी मुकदमा बहुत ही शातिर एंव चलाक व्यक्ति है वह अभियुक्त के परिवार वालों को दबाव बनाने की गरज से उक्त मामले में उन्हें भी नामजद कर दिया जबकि अभियुक्त उपरोक्त के परिवार वालों का इस मामले से कोई लेना देना नही है अगर होता तो अवश्य ही वादी मुकदमा अपने 138 एन.आई. के वाद में उल्लेख करता। वादी मुकदमा स्वंय ही दबंग किस्म का व्यक्ति है जोकि अभियुक्त के पिता के घर पर कब्जा करना चाहता है तथा वह अभियुक्त के पिता के ऊपर दबाव बना रहा है कि वह अपना मकान उसके नाम कर दें जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के पिता के द्वारा उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र भी दिया गया है। अभियुक्त उपरोक्त के पास से गिरफ्तारी के समय कोई भी कूट रचित दस्तावेज बरामद नही हुए हैं तथा जिन दस्तावेजों को वादी कूटरचित बता रहा है वह स्वंय ही वादी के द्वारा बनाए गये हैं। अभियुक्त उपरोक्त का कोई भी अपराधिक इतिहास नही रहा है तथा ना ही किसी भी मामले में न्यायालय के द्वारा दण्डित नही किया गया है। अभियुक्त उपरोक्त एक छोटा मोटा जूतों चप्पल का व्यापरी है तथा किसी तरह मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण करता है तथा अपने बिमार व बूढ़े माता–पिता का सहारा है। तथा उक्त झूठे मुकदमें से उसे काफी मानसिक आघात पहुंचा है तथा उसका भविष्य बरबाद हो गया है। अभियुक्त उपरोक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है इसके अलावा कोई भी अन्य जमानत प्रार्थनापत्र ना तो किसी न्यायालय में प्रेषित किया गया है, अथवा ना ही माननीय उच्च न्यायालय में ही प्रेषित किया गया है ना ही खण्डित हुआ है। अभियुक्त उपरोक्त जमानत पर रिहा होने के पश्चात न्यायालय में प्रत्येक तारीख पेशी पर समय से उपस्थित होता रहेगा तथा ना ही गवाहो को डरायेगा धमकायेगा तथा न्यायालय के आदेशों का पूर्णतया पालन करता रहेगा। मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्त को उचित जमानतों पर रिहा किये जाना न्याय संगत होगा। उक्त तथ्यों एवं कारणों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा उपरोक्त अपराध को कारित किया गया है। अभियुक्त को यदि जमानत प्रदान की गई तो वह जमानत की शर्तों का दुरूपयोग करेगा तथा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पाने पर जमानत शर्तों का उल्लंघन करेगी तथा पुनः अपराध कारित करेगी। तदनुसार जमानत आवेदन पत्र को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा संपूर्ण केस डायरी सहित अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने एवं केस डायरी व अभियोजन प्रपत्रों के

अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये हैं कि वादी मुकदमा एवं अन्य व्यक्तियों को स्वयं को जूते का व्यापारी बताकर अपनी रहमान ट्रेडर्स के नाम फर्म होने का कथन करके रेड टेप कम्पनी एवं मार्शल कम्पनी से अपने आपको डिस्ट्रीब्यूटर बताकर एवं कम्पनी के फर्जी प्रपत्र बताकर धोखे से लाखों रूपये ऐंठ लिये। केस डायरी के परिशीलन से प्रकट होता है कि वादी मुकदमा एवं अन्य साक्षीगणों ने अपने बयान अंतर्गत धारा–161 दं०प्र०सं० में प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथानक का पूर्ण समर्थन किया है। विवेचक के द्वारा दौरान विवेचना अन्य पीड़ित व्यक्तियों में से मोहम्मद जीशान का भी बयान दर्ज किया गया है जिसमें उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त विवेचक के द्वारा दौरान विवेचना रेड टेप कम्पनी एवं मार्शल कम्पनी से पत्राचार करके उक्त बिलों का सत्यापन भी कराया गया है जिसमें से उक्त कम्पनी ने अभियुक्त से अपना कोई लेनदेन न होने का कथन किया गया है। विवेचक के द्वारा दौरान विवेचना वादी मुकदमा एवं अन्य पीड़ित व्यक्तियों के बैंक स्टेटमेण्ट भी निकाला गया है जिनके परिशीलन से प्रकट होता है कि वादी वादी मुकदमा एवं अन्य पीड़िता व्यक्तियों के द्वारा लाखों रूपये अभियुक्त के खाते में जमा किया गया है। प्रकरण में विवेचना अभी प्रचलित है एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही जारी है। अभियुक्त पर लगाये गये आरोप गंभीर प्रकति के हैं। अतः प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण में अभियुक्त की प्रथम दृष्ट्या सक्रिय संलिप्तता आदि तथ्यों को देखते हुए, मामले के गुण–दोष पर कोई और अधिक टिप्पणी किये बिना, अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त फर्राज उर्फ फराज रहमान सिद्दकी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2277/2026 निरस्त किया जाता है।

(पवन कुमार राय)
विशेष न्यायाधीश 'पॉक्सो एक्ट'/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–20
कानपुर नगर।

Digitally signed by Pawan Kumar Rai
Date: 2026.07.01 16:51:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court